न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 27/2014

1. श्रीमति सीमा उर्फ सूरमा पुत्री सुमित्रा पत्नी श्री सांवरा जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. श्रीमति प्रेम पत्नी श्री मिठू
2. श्रीमति रामकन्या पत्नी श्री धन्नालाल
3. श्रीमति सीता पत्नी श्री गोपाल
4. श्री रामदेव पुत्र श्री लादू
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
5. श्री कन्हैयालाल चौधरी हल्का पटवारी चकवी पटवार हल्का चकवा तहसील सरवाड जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राकेश अरोडा वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3 श्री शुभकरण सिंह चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 03.02.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील सरवाड के राजस्व ग्राम चकवी स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 11 कुल किता 3 कुल रकबा 61 बीघा 55 बिस्वा भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री रामदेव पुत्र श्री लादू जाति जाट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमति प्रेम पत्नी श्री मिठू, श्रीमति रामकन्या पत्नी श्री बन्नालाल व श्रीमति सीता पत्नी श्री गोपाल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर के पक्ष में कर दिये जाने के फलस्वरूप पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 11.08.2013 से क्रेतागण के पक्ष में तहसीलदार सरवाड द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सरवाड द्वारा

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 11.08.2013 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने मियाद के बिन्दू पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील बाद मियाद पेश की गई है इसके अतिरिक्त विवादित भूमि का विक्रय भूमि के रेकार्डेड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी में अंकित भूमि का विक्रय किया गया है। राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं है अतः अपीलान्ट पीडित पक्षकार भी नहीं है अतः उन्हें अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है अतः इसी आधार पर अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट ने हमारा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई न ही उन्हें पक्षकार मुर्तिब किया गया जिससे प्रार्थिया के हितो पर कुठाराघात हो रहा है। उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष प्रार्थिया द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्व एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जो आदिनांक तक विचाराधीन है अतः प्रार्थिया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 200 दिनाक 11.08.2013 से पीडित पक्षकार होने उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इसके साथ ही उन्होने कथन किया कि अप्रार्थिया ग्रामीण परिवेश की महिला होने व अनपढ होने से उन्हें इस तथ्य की कानूनी जानकारी नही हो सकी कि उपरोक्त नामान्तरकरण की अपील पेश करनी पडेगी। प्रार्थिया को आक्षेपीय आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 01.04.2014 को होने पर जब वे उपखण्ड अधिकारी सरवाड में गई तो प्रार्थिया द्वारा अपने अभिभाषक को नामान्तरकरण के संबंध में बताया तब उन्होंने अपील करने की सलाह दी तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा अविलम्ब अपील पेश कर दी गई है। उन्होने यह भी कथन किया कि मियाद अधिनियम प्रक्रिया को चलाने के लिए बनाया गया है न कि किसी पक्षकार को मियाद की आड में न्याय से वंचित कर दिये जाने हेतु जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने A.I.R. 1985 पेज 3222 पैरा 11 में महत्वपूर्ण सिद्वान्त पारित किया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के साथ ही मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद मानकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जावे। जवाबुलजवाब मे वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त झूठे कथन अंकित किये गये है उन्होंने मियाद प्रार्थना पत्र में देरी का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। नियमानुसार प्रार्थिया को देरी का दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कारण अंकित करना आवश्यक है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 196 CPC व मियाद प्रार्थना पत्र निरस्त किये जावे तथा इसी आधार पर अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया न्यायहित में प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश करने की

Scanned by CamScanner

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। आक्षेपीय नामान्तरकरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उन्होंने कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के नाम दर्ज भूमि का रेकार्डेड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किया गया है तथा क्रेतागण द्वारा विक्रेता को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा की गई है। अपीलान्ट को नियमानुसार सक्षम न्यायालय से पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त करवाया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार सरवाड व ग्राम पंचायत को नोटिस भेजकर उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना करने हेतु निवेदन करना कोई न्यायालय का आदेश नहीं था न ही इस प्रकार का नोटिस देने का उन्हें कोई विधिक अधिकार था। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विवादित भूमि से संबंधित नियमित राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जबकि नामान्तरकरण कार्यवाही Fiscal Procceeding मात्र है जिससे किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नियमित राजस्व वाद के निस्तारण से अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्ट के अधिकार तय होगे। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि से संबंधित नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष विचाराधीन है जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2011 को रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिती बनाये रखने के आदेश जारी है। स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 11.08.2013 स्वीकृत किया है, जो अवैध एवं प्रभाव शून्य है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सरवाड द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 11.08.2013 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार सरवाड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद के परिपेक्ष्य में नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 03.02.2016 को मेरे द्वारा सरे इलियाज सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner